

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपी धर्म सिंह पूर्व से अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी धर्म सिंह की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी धर्म सिंह की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील फरारी पंचनामा सहित इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि “आरोपी घटना के बाद से ही गांव में नहीं आया, फरार चल रहा है”।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दिनांक : 30/12/2015 को आरोपी धर्म सिंह के विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तब से लेकर अब तक निरन्तर आरोपी धर्म सिंह की उपस्थिति के लिए आदेशिकाएं जारी की जा रही है, परन्तु आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। इस वावत् वारंट निष्पादनकर्ता एवं फरारी पंचनामा लेखबद्ध करने वाले थाना मौ के एसआई लक्ष्मण किशोर गुबरेले की फरारी साक्ष्य अंकित की गई।

दिनांक : 30/12/2015 से आरोपी धर्म सिंह की निरन्तर अनुपस्थिति, गिरफ्तारी वारंट पर अंकित टीप, फरारी पंचनामा के तथ्यों एवं एसआई लक्ष्मण किशोर गुबरेले की फरारी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त आरोपी धर्म सिंह फरार हो गया है या अपने को छिपा रहे है, जिससे ऐसे गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सके। एसआई लक्ष्मण किशोर गुबरेले द्वारा उसके फरारी साक्ष्य में यह दर्शित किया गया है कि “उक्त आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि आरोपी धर्म सिंह अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए फरार हो गया है और उनके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी धर्म सिंह की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी धर्म सिंह की उपस्थिति के स्थाई वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी धर्म सिंह के उपस्थित होने तक अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया

जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये कि प्रकरण में आरोपी राजू फरार है, इसलिए अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

जे.एम.एफ.सी.,गोहद